# न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

| अपील संख्या | रजि0नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/32/2025 | 2025/83 | 25.04.2025 | 29.07.2025 |

1. धर्मेन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री विश्राम मीना जाति मीना निवारी ग्राम करणपुरा तहसील रैणी जिला अलवर राज0।

––प्रार्थी

बनाम

1. यादराम मीना पुत्र श्री भोलाराम मीना, जाति–मीना, निवारी– ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
2. रामोती देवी पत्नी श्री भोलाराम मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील रैणी (अलवर)
3. सोमोत्या मीना पुत्र श्री हरसहाय मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
4. रामदेई पत्नी स्व. श्री छोटा मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा तहसील–रैणी (अलवर)
5. इन्द्र कुमार मीना पुत्र स्व. श्री छोटा मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
6. भगवान सहाय मीना पुत्र स्व. श्री छोटा मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील रैणी (अलवर)
7. राधाकिशन मीना पुत्र स्व. श्री छोटा मीना, जाति–मीना, आयु 38 वर्ष, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
8. रामकली पुत्री स्व. श्री छोटा मीना, पत्नी श्री अमर सिंह मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम मन्या का बास, तहसील–कठूमर (अलवर)
9. शीला पुत्री स्व. श्री छोटा मीना, पत्नी श्री जितेन्द्र मीनारू जाति–मीना निवासी– ग्राम कीलपुर खेड़ा, तहसील–रैणी (अलवर)
10. सीना मीना पुत्री स्व. श्री छोटा मीना, पत्नी श्री सुमेर सिंह मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम अलीपुर, तहसील–बैजूपाड़ा (दौसा)
11. रामरतन मीना पुत्र श्री कल्ला मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
12. रामअवतार मीना पुत्र श्री कल्ला मीना, जाति–मीणा, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
13. ठीकाराम मीना पुत्र श्री कल्ला मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
14. सुवा देवी पत्नी स्व. श्री रामनारायण मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
15. जितेन्द्र मीना पुत्र स्व. श्री रामनारायण मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील– (रैणी)
16. सिलोचना पुत्री स्व. श्री रामनारायण मीना, पत्नी श्री बाबूलाल मीना, जाति–मीना, निवासी ग्राम कोलाना, तहसील–बसवा (दौसा)
17. विजय सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलंवर)
18. पिस्ता देवी पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री कमलेश मीना, जाति–मीणा, निवासी ग्राम हुड़ला, तहसील–महावा (दौसा)
19. साधना मीना पुत्री श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री रूपसिंह मीना, जाति–मीना, निवासी ग्राम महसवा, तहसील–टोडाभीम (गंगापुर सिटी)
20. मीरा देवी पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री लखन मीना, जाति–मीना, निवासी ग्राम अलीपुर, तहसील–बैजूपाड़ा (दौसा)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

21.गीता मीना पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री राजेन्द्र मीना, जाति–मीना, निवासी–झालाटाला, तहसील–लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
22.सुनीता मीना पुत्री श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री रामदास मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम कचावा, तहसील–लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
23.अनिता मीना पुत्री स्व. श्री रामस्वरूप मीना, पत्नी श्री किशन मीना, निवासी–रूपबास, तहसील–बांदीकुई (दौसा)
24.रामपति देवी पत्नी स्व. श्री रंगलाल मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
25.शिवराम मीना पुत्र स्व. श्री रंगलाल मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
26.विश्राम मीना पुत्र स्व. श्री रंगलाल मीना, जाति–मीना निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
27.मलखान मीना पुत्र स्व. श्री रंगलाल मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
28.सजना पुत्री स्व. श्री रंगलाल मीना, पत्नी श्री शिवराम मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम नौरंगवाड़ा, तहसील–महवा (दौसा)
29.प्रकाशी पुत्री स्व. श्री रंगलाल मीना, पत्नी श्री कमलेश मीना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम हल्दीना, तहसील–मंडावर (दौसा)
30.तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार, रैणी (अलवर) बतौर लैण्ड होल्डर कम असल प्रतिवादीगण
31.चतरो देवी पत्नी श्री विश्राम मीना, जाति–भीना, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
32.सुरेंद्र मीना पुत्र श्री विश्राम मीना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
33.सुनीता मीना पुत्री श्री विश्राम मीना, पत्नी श्री हेमन्त मीना, जाति–मीना, निवासी–टोडाभीम (गंगापुर सिटी)
34.अनिता मीना पुत्री श्री विश्राम मीना, पत्नी श्री राकेश मीना, जाति–मीना, निवासी–टोडाभीम (गंगापुर सिटी)
35.शिवराम मीना पुत्र श्री श्रवण लाल मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील रैणी (अलवर)
36.रमेश चंद मीना पुत्र श्री श्रवण लाल मीना, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
37.सुरेश मीना पुत्र श्री श्रवण लाल मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
38.गीता मीना पुत्री श्री श्रवण लाल मीना, पत्नी श्री मोहन सिंह, जाति–मीना, निवासी–टोडाभीम (गंगापुर सिटी)
39.कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री मूला मीना, जाति–मीना, निवासी–ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
40.मुकेश चंद मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी
41.महेश चन्द मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
42.दिनेश कुमार मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी (अलवर)
43.सोमेन्द्र मीना पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीना, निवासी ग्राम करणपुरा, तहसील–रैणी अलवर
44.सन्तरा देवी पुत्री श्री गिर्राज प्रसाद मीना, पत्नी श्री प्रभाती लाल मीना, निवासी–ग्राम अलेई, तहसील–राजगढ़ (अलवर)
45.उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर राज0।

---अप्रार्थीगण

**–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–**

**उपस्थितिः–**

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

01–श्री अजीत कुमार यादव —वकील प्रार्थी
02–श्री धर्मेन्द्र जैसावत —वकील अप्रार्थी सं. 1

## —:निर्णय:—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी के प्रकरण बउनवान धर्मेन्द्र कुमार मीणा बनाम यादराम मीणा वगैरह मुकदमा नंबर 183/2024 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बअनुवानी धर्मेन्द्र कुमार मीणा बनाम यादराम मीणा वगैराह मुकदमा नम्बर 183/2024 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राज. में विचाराधीन है जिसमें तारीख पेशी 25.04.2025 की नियत है।

पीठासीन अधिकारी महोदय प्रार्थना पत्र का निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में करने पर आमदा है। पीठासीन अधिकारी महोदय पर अप्रार्थी द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अत्यन्त ही दबाव बनवा रखा है उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी महोदय पर राजनेतिक दबाव बना रखा है साथ ही धन, बल का भी उपयोग कर रहे है जिसके तहत ही पीठासीन अधिकारी महोदय सारी कार्यवाही कर रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा है कि आगामी पेशी को प्रार्थी के विरूद्ध किसी न किसी प्रकार का कोई आदेश जरूर पारित कर देंगें। अप्रार्थी की पीठासीन अधिकारी महोदय से साठ गाठ हो चुकी है। इसलिए प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की कतई उम्मीद नही है। इसलिए प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायाचित है। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा सारी कार्यवाही अप्रार्थी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण को आनन फानन में अप्रार्थी के पक्ष में फैसला करने पर आमादा है जबकि उनके समक्ष अन्य विचाराधीन प्रकरणो की सुनवाई नही कर रहे है और उक्त प्रार्थना पत्र में रूची दिखाते हुये छोटी–छोटी तारीख पेशीया नियत कर उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है यदि उनके द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया तो प्रार्थी का न्याय से विश्वास उठ जायेगा।

अप्रार्थी द्वारा अपने धन–बल के आधार पर पीठासीन अधिकारी महोदय को अपने प्रभाव में ले रखा है इसलिए पीठासीन अधिकारी महोदय अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित करने पर आमदा है। अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी को कह दिया कि चाहे तुम कुछ भी क़र लो दावा का निर्णय तो हमारे पक्ष में ही होगा तथा पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही सारी कार्यवाही भी साबित करती है कि अप्रार्थी से उनकी साठ गाठ हो चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी महोदय से न्याय की कतई उम्मीद नही है इसलिए प्रकरण को अन्यत्र किसी सखम न्यायालय में मुंन्तकिल किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। उक्त उनवानी प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय नजदीक तारीख पेशी लगाकर अप्रार्थी के पक्ष में निर्णय करने की जुस्तजु में है जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी महोदय से अप्रार्थी मिले हुये है ओर मिन प्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण में फैसला करवाने पर आमादा है जिसकी अप्रार्थी ऐलानिया दहशत व धमकी भी दे रहे है जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

न्याय का मूलभूत सिद्धान्त है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए अपितु किया हुआ सा प्रतीत भी होना चाहिए इस दृष्टिकोण से भी पीठासीन अधिकारी महोदय के

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

समक्ष विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित है जिससे प्रार्थी के साथ उचित न्याय हो सके।

अतः मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी महोदय रैणी जिला अलवर से उनवानी धर्मेन्द्र कुमार मीणा बनाम यादराम मीणा वगैराह मुकदमा नम्बर 183/2024 को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित जवाव/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रकरण बअनुवानी धर्मेन्द्र कुमार मीना बनाम यादराम मीना वगैहरा मुकदमा नंबर– 183/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर राज० में विचाराधीन है। प्रार्थी ने अपने उक्त चरण में तारीख पेशी दिनांक 25.04.2025 के वास्ते नियत है।

अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनाने, धन बल का उपयोग करने का आरोप प्रार्थी ने गलत लगाये है जोकि निराधार है। जबकि श्रीमान पीठासीन अधिकारी विधि सम्मत एवं नियमानुसार कार्यवाही कर रहे है। दावा हाजा की पत्रावली अभी जवाब एवं तलबी हेतु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण चल रही है। प्रार्थी ने गलत व झूठे आरोपी लगाकर उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश किया है जो मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। दावा हाजा की पत्रावली जवाब एवं तलबी रिपोर्ट अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के चल रही है। इसलिये प्रार्थी द्वारा यह अंकित करना गलत है कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में आनन फानन में अप्रार्थी के पक्ष में फैसला करने को आमदा है।

प्रार्थी ने बार बार एक ही तथ्य का कथन किया है जो विश्वसनीय नही है। अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वह न्याय संगत है और उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का कोई समुचित आधार नही है। इसलिये प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। पीठासीन अधिकारी महोदय से मिन अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। पीठासीन अधिकारी विधि सम्मत एवं कानूनी प्रकिया के अनुसार अपना कार्य कर रहे है तथा उक्त दावा हाजा को मुन्तकिल किये जाने की कोई आवश्यकता नही है वादी दावा हाजा का निस्तारण नही करवाना चाहता है और मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत आधारों पर उपरोक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है इसलिये प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी वादी ने दिनांक 01.08.2024 को वाद पत्र तहत अदालत में अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। जो दावा तलबी व जवाब अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण में नियत चला आ रहा है। जिसमें अभी तक किसी भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा दावा हाजा में व प्रार्थना पत्र में तलबी हेतु न्यायालय आदेश की पालना नही की जारी है। मिन अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा तहत अदालत उप खण्ड अधिकारी राजगढ़ के समक्ष दिनांक 12–09–2024 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण में कब्जे के अनुसार तकसीम कर दिया जावे जिसमें अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है तथा बॅटवारे हेतु अप्रार्थीगण सहमत है। मिन अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर तथा झूठी कहानी बनाकर उपरोक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि वादी स्वयं ही उक्त प्रकरण को विलम्ब करना चाहता है और निस्तारण करने में न्यायलय का सहयोग नही कर रहा है तथा निस्तारण में अनावश्यक देरी कर रहा है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मिन अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का जवाब स्वीकार किया जाकर प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रैणी द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 1 स्वीकार है उक्त उनवानी प्रकरण मु.नं. 01/94/2024 उनवानी धर्मेन्द्र कुमार मीना बनाम यादराम वगै० अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें आगामी तारीख पेश 23.07.2025 नियत है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है एवं निराधार आक्षेप लगाये गये है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है, उक्त प्रकरण विधि अनुरूप बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तिकिल किया जाता है तो हमें कोई एतराज/आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 4, 5 व 6 अस्वीकार है प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में आरोप बेबुनियाद एवं मिथ्या है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा न्यायालय प्रक्रिया अनुसार बिना किसी भेदभाव के विधिनुरूप कार्यवाही की जा रही है। तथापि फिर भी उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तिकिल किया जाता है तो हमें कोई एतराज/आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का बिन्दु संख्या 7 एवं 8 है जो काबिल गौर श्रीमान है। प्रार्थना पत्र का अन्तिम पैरा बाबत् अनुतोष है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगढंत, झूठे एवं गलत हैं फिर भी प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान